उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड

UTTAR PRADESH JAL VIDYUT NIGAM LIMITED

(A U.P. Govt. Enterprise)

Save Energy for Benefit of Self and Nation

स्वहित एवं राष्ट्रहित में बिजली बचाएं

CIN-U31901UP1985SGC007135

Registered/Corporate Office:
12th Floor, Shakti Bhawan Extension,
14- Ashok Marg, Lucknow- 226001
Phone: 0522-2287037
RAX No. : 0522- 2287701 Ext. 4653

रजिस्टर्ड / कारपोरेट कार्यालय :
12वां तल, शक्ति भवन विस्तार,
14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001
फोन: 0522–2287037
रैक्स न0 : 0522–2287701 वि.न.–4653

संख्या– 4500/का0 एवं प्रशा0/जविनिलि0/22–03(45)/2001 (वा0–।।) दिनांकः 08|12|2022

कार्यालय ज्ञाप

एतदद्वारा उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 में कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उन पर पूर्णतया आश्रित परिजनों तथा पारिवारिक पेंशनरों द्वारा भर्ती होकर कराई गई चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अस्पतालों की मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा निर्गत निम्नलिखित आदेशों (छायाप्रति संलग्न) को इस निगम में अंगीकृत किया जाता हैः–

1– कार्यालय ज्ञाप संख्या 4554–औसं–17 /पाकालि/2022–11(1)ए0एस0/09(2022) दिनांक 09.11.2022

2– कार्यालय ज्ञाप संख्या 4705–औसं–17 /पाकालि/2022–11(10)ए0एस0/06 दिनांक 16.11.2022

प्रबन्ध निदेशक

संख्याः 4500 /का0 एवं प्रशा0/जविनिलि/22–03(45)/2001 (वा0–।।) तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– निदेशक (तकनीकी)/(वित्त), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।

2– मुख्य अभियन्ता (परि0 एवं अनु0)/(एम0पी0एस0), उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0।

3– उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0।

4– अधीक्षण अभियन्ता, जल विद्युत उत्पादन मण्डल, पिपरी/माताटीला/खारा।

5– अधिशासी अभियन्ता (मुख्यालय), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि वह आदेश को वेबसाइट पर अपलोड करवायें।

6– लेखाधिकारी (आहरण एवं वितरण)/(वेतन एवं लेखा)/(पेंशन), उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।

7– चिकित्सा सलाहकार, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।

8– सम्बन्धित हास्पिटल।

9– कट फाइल।

08|12|2022

(मो0 अलीम)

उप सचिव (का0 एवं प्रशा0)

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928
शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

UPPCL

डायरी संख्या 4403
दिनांक 22/11/22

संख्याः–4705–औसं–17/पाकालि/2022–11(10) ए0एस0/06

दिनांक 16 नवम्बर, 2022

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवम् उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों तथा पारिवारिक पेंशनरों के भर्ती के दौरान कराये गये उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों शर्तों एवं कारपोरेशन द्वारा अनुमोदित दरें, जो कारपोरेशन के वेबसाइट **www.uppcl.org-medical** पर उपलब्ध हैं, के अधीन कारपोरेशन के आदेश सं0–4452–औस–17/पाकालि/2009, दि0 09.12.2002 एवं आदेश सं0–3464–औ0सं0–17/पाकालि/2003 दिनांक 09.07.2003 सपठित आदेश सं0–2691–औ0सं0/पाकालि/2016 दिनांक 29.06.2016 में निहित प्राविधानों /मानकों के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता (मु0), कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि0, केसा हाउस, कानपुर के पत्र संख्या–एस0एम0–1डी/4047 दिनांक 18.10.2022 के साथ संलग्न निरीक्षण आख्या/संस्तुति एवं अन्य अभिलेख तथा चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराये गये मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर, कानपुर द्वारा प्रदत्त पंजीकरण प्रमाण–पत्र संख्या–सी0एम0ई0ई0 2245243 जो दिनांक 30.04.2023 तक वैध है, के दृष्टिगत कारपोरेशन द्वारा निर्धारित **सी0जी0एच0एस0–2014 की मानक दरों पर एतद्द्वारा रॉयल कैंसर इन्स्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेण्टर 113/103–ए, स्वरूप नगर अपोजिट मोतीझील, कानपुर मो0नं0–8400333109, 9794452206, 9935556605 को कैंसर रोग के उपचार हेतु (एकल विशिष्टता के रूप में) दिनांक 30.04.2023 तक के लिए कारपोरेशन की मान्यता प्रदान की जाती है।**

उपर्युक्त चिकित्सालय में भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती परिषद के आदेश संख्या–2088–एन0जी0–2/एस0ई0बी0(चार)29–एन0जी0–2/78, दिनांक 24.05.78 एवं आदेश सं0–3330–औसं/2018–11(28)ए0एस0/2004 (VOL-2015/CGHS) दिनांक 08 अगस्त, 2018 में निहित प्राविधानों एवं शर्तो के अधीन अनुमन्य होगी।

1. चिकित्सालय को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण–पत्र यदि उनको प्रदान की गयी मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है, या समाप्त कर दिया जाता है तो, उस चिकित्सालय की मान्यता उस दिनांक से स्वतः समाप्त हो जायेगी।
2. चिकित्सालय को विभाग द्वारा अनुमोदित दरों के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज देय न होगा। किसी भी प्रकार का परामर्श शुल्क देय न होगा।
3. चिकित्सालय को अपने परिसर में एक साइन बोर्ड लगाना होगा जो यह दर्शायेगा कि "उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 30.04.2023 तक के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सालय"।
4. चिकित्सालय को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड का एक रजिस्टर अलग से रखना होगा और हर 15 दिनों में अस्पताल को निम्नलिखित सूचना कारपोरेशन को भेजनी होगी :–
   (क) रोगी का नाम/पदनाम/वेतनमान/नियुक्ति स्थान/आयु एवं लिंग।
   (ख) पूर्णतः आश्रित होने की दशा में रोगी का कार्मिक से सम्बन्ध।
   (ग) अस्पताल में भर्ती होने एवं डिस्चार्ज होने की तिथि।
   (घ) कार्मिक का वेतनमान।
   (ड) रोग का नाम (संक्षेप)।
   (च) कुल व्यय की धनराशि।
5. अस्पताल प्रबन्धन को [illegible] पत्र [illegible] कि [illegible] CGHS-2014 की मानक [illegible] हेतु सहमत है।

क्रमशः 2/-

6. यदि अस्पताल द्वारा अनिवार्य रूप से भोजन दिया जाता है तो अस्पताल के बीजकों में भोजन की मद हेतु रू0 50/- प्रतिदिन की कटौती कर ली जाएगी।

7. कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि चिकित्सालय द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने, विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डो से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालय की मान्यता समाप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्याः-4705 (1)औसं-17/पाकालि/2022-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, 8वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (का0प्र0) ट्रांसको/निदेशक (कार्य एवं परियोजना), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्याँचल, लखनऊ/पूर्वान्चल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणाँचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
8. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
10. महाप्रबन्धक (औ0सं0)/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
11. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन/कारपोरेट टैक्स), उप-मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. कम्पनी सचिव, पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट **www.uppcl.org-Medical / E-Book** पर अपलोड करने हेतु।
15. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर, कानपुर।
17. डा0 राजेश कुमार अग्रवाल, प्रबन्ध निदेशक, रॉयल कैंसर इन्स्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेण्टर 113/103-ए, स्वरूप नगर अपोजिट मोतीझील, कानपुर।
18. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
19. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(लोकेन्द्र सिंह)
कार्मिक अधिकारी

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928
शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

4404
22/11/2022
03(45)/2001

संख्या:-4554-औसं-17/पाकालि/2022-11(01)ए0एस0/09 (2022) दिनांक: 09 नवम्बर, 2022

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3588-औ0सं0-17/पाकालि/2021 दिनांक 30.11.2021 द्वारा दिनांक 31.10.2022 तक मान्यता प्राप्त मेदान्ता द मेडिसिटी हॉस्पिटल, सेक्टर-38 गुड़गाँव हरियाणा के मान्यता पूर्ववत् चिकित्सालय प्रबन्धन से प्राप्त नवीनतम् पंजीकरण प्रमाण-पत्र जो Joint Commissioner IV, Municipal Corporation, Gurugram, License U/s 330, 331, 335 & 336 of Haryana Municipal Act of 1994 के अन्तर्गत निर्गत एवं दिनांक 31.03.2023 तक वैध है, के दृष्टिगत कारपोरेशन के आदेश सं0-4452-औस-17/पाकालि/02, दिनांक 09.12.2002 एवम् आदेश संख्या-3593-औस-17/पाकालि/2003, दिनांक 21.07.03 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-3330-औसं/2018-11(28)ए0एस0/2004(VOL-2015/CGHS) दिनांक 08 अगस्त, 2018 में निहित प्राविधानों/मानकों एवम् अनुमोदित चिकित्सा दरों के अधीन दिनांक 31.10.2022 से अग्रेतर दिनांक 01.11.2022 से 31.03.2023 तक एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है :-

1. उक्त चिकित्सालय का सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनको प्रदान की गई मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है, तो उस चिकित्सालय की मान्यता समाप्त हो जायेगी।
2. कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि मान्यता अवधि से पूर्व कभी भी चिकित्सालय की मान्यता बिना कोई पूर्व सूचना व कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
3. चिकित्सालय के प्रबन्धन द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालयों की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण बताये, समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या:-4554-(1) औसं-17/पाकालि/2022-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, 8वाँ तल शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त),(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर ट्रांस्को, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वान्चल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल आगरा/केस्को कानपुर।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/ समिति-प्रबन्ध/ निदेशक, उ0प्र0 पावर

क्रमशः

8. महाप्रबन्धक (का0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, 12वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
11. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड शक्ति भवन, लखनऊ।
12. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
14. प्रबन्धक, मेदान्ता द मेडिसिटी हॉस्पिटल, सेक्टर–38 गुड़गाँव हरियाणा।
15. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
17. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट **www.uppcl.org-Medical/E-book** पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
18. कट फाइल।

भवदीय,

PKumar 9/11/22

(प्रदीप कुमार)

उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)